बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

सूचना

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अधीन गठित बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण अधिनियम (गठन एवं प्रक्रिया) नियमावली 2002 के नियम–3(2) के अंतर्गत योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण के सदस्य पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पूर्ण सेवा इतिहास के साथ नीचे अंकित कोटि से विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निबंधित डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

(क) सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत सरकारी सेवक जो बिहार सरकार में विशेष सचिव स्तर से अन्यून नहीं होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत बिहार सहकारिता सेवा के पदाधिकारी जो संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के स्तर से अन्यून नहीं होंगे।

(ग) सेवानिवृत्त वरीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1	आवेदक का नाम	:–
2	पिता/पति का नाम	:–
3	शैक्षणिक योग्यता	:–
4	सेवा संवर्ग एवं श्रेणी	:–
5	जन्म तिथि	:–
6	सेवा में योगदान की तिथि एवं पद	:–
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–
8	विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए	:–
9	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	:–
10	स्थायी एवं पत्राचार का पता	:–
11	(ix) सेवा अवधि में कोई दंड मिला हो उसका विवरण (x) विभागीय कार्यवाही का विवरण (xi) आपराधिक मामले यदि कोई हो तो विवरण (xii) सेवानिवृत्ति की तिथि/आवेदन की तिथि से विगत पाँच वर्षों की गोपनीय चारित्री	:–
12	प्रतिकूल चारित्री का संसूचन एवं विलोपन का विवरण	:–
13	मोबाईल नं0	:–
14	E-Mail ID	:–

नवीनतम फोटो

घोषणा :– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण सत्य है।

सेवा शर्तें

(1) चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के आधार पर की जाएगी।

(2) अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति समान्यतः नियोजन/नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए की जायेगी परन्तु यह कि नियुक्ति की अवधि में कमी या विस्तार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) अधिकरण की सदस्यता में किसी रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा यथा संभव शीघ्र की जायेगी। अध्यक्ष के स्थान के रिक्त रहने पर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक के लिए सरकार अन्य सदस्यों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्यों को भारतीय दंड संहिता 1860 (xiv 1860) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जायेगा एवं अधिकरण के समक्ष हुई कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 एवं 340 के अधीन होगी।

(5) अधिकरण की सदस्यता का पदधारण करते रहने की अवधि में कोई सदस्य अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर का कोई वेतनभोगी रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

(6) आवेदक अपने आवेदन के साथ अपना सेवा इतिहास भी देंगे।

(7) वेतन भत्ते : अध्यक्ष/सदस्य को सेवानिवृत्त के समय प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर मूल वेतन देय होगा। इस वेतन पर समय–समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा। पेंशन पर महँगाई राहत भी अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का वेतन/भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(8) विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(9) सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान, पेंशन उपादान, एल0टी0सी0, अग्रिम अनुमान्य नहीं होगा। अनिवार्य ग्रुप बीमा एवं अनुकम्पा की सुविधा भी अनुमान्य नहीं होगी।

(10) पेंशन पर चिकित्सा भत्ता की अनुमान्यता के कारण चिकित्सा भत्ता अनुमान्य नहीं होगी।

(11) संविदा पर नियोजन अवधि में आकस्मिक अवकाश बिहार सेवा संहिता के अनुसार अनुमान्य होगा जो एक पंचांग वर्ष में अधिकतम 12 (बारह) दिन होंगे।

(12) इस संबंध में यदि किसी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवेदन दिया गया हो तो उन्हें भी इस विज्ञप्ति के आलोक में पुनः आवेदन देना होगा।

(13) आवेदन उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना के पते पर दिया जायेगा। निबंधित डाक से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा।

R.K
12.02.24

12/2/24

(स्मृति कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।